न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 486/2022

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. प्रेमसिंह पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

–**वादीगण**

बनाम्

1. गिनी देवी पुत्री छतुराम पत्नी देवीलाल जाति नायक निवासी नेठराना हाल ननाऊ तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक: 27/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 20/20 की कुल 9.3330हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया स0 1 के नाम से दर्ज है जो वादीगण की माता है। वादीगण व प्रतिवादी हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया कि वादी वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:08 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 2 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 20/20 की कुल 9.3330हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 20/20 की कुल 9.3330हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 486/2022

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. प्रेमसिंह पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. गिनी देवी पुत्री छतुराम पत्नी देवीलाल जाति नायक निवासी नेठराना हाल ननाऊ तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री भरतसिंह बैनीवाल की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 20/20 की कुल 9.3330हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.12.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:08 IST
Reason: SelfAttested